

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 21 / 2024-25
दिनांक: 29 जुलाई, 2024

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नामिबिया को गैर-बासमती सफेद चावल का आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत निर्यात।

सा.आ.(अ): समय-समय यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 के पैरा 2 (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नामिबिया को गैर बासमती सफेद चावल का आईटीसी (एचएस कोड 10063090 के तहत 1,000 मी.ट. का निर्यात अनुमत करती है:—

अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नामिबिया को गैर बासमती सफेद चावल का आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत 1,000 मी.ट. का निर्यात अनुमत किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
29.7.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एएम-24/ईसी/ई-37225 से जारी)